

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग
आदेश

संख्या-2/आर-40/2024- /स्वा०, पटना, दिनांक / /2026

डा० उमेश भारती, विशेषज्ञ चिकित्सा पदाधिकारी (शिशु रोग), सदर अस्पताल, शिवहर का दिनांक-31.08.2020 से 30.08.2023 तक अध्ययन अवधि तथा दिनांक-31.08.2023 से 02.02.2024 तक प्रभार रहित अवधि को निम्नरूपेण विनियमित किया जाता है:-

1.	दिनांक-31.08.2020 से 30.08.2023 तक (कुल-1095 दिन)	
i.	दिनांक-31.08.2020 से 30.08.2023 तक	- अध्ययन अवधि को असाधारण अवकाश के रूप में (विभागीय अधिसूचना संख्या-2045(2) दिनांक-30.11.2011 के आलोक में)।
2.	दिनांक-31.08.2023 से 02.02.2024 तक (कुल-156 दिन)	
i.	दिनांक-31.08.2023 से 01.02.2024 तक	- पदस्थापन की प्रतीक्षा अवधि के रूप में (मुख्यालय स्वास्थ्य विभाग)।
ii.	दिनांक-02.02.2024 को	- असाधारण अवकाश के रूप में। (बिहार सेवा संहिता के नियम-236 के आलोक में)

2. प्रस्ताव में आन्तरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति एवं सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

ह०/-

(विनोद कुमार पाठक)
सरकार के उप सचिव

ज्ञापक-2/आर-40/2024- 844(2) पटना, दिनांक 21/4/2026

प्रतिलिपि: महालेखाकार (ले० एवं ह०) बिहार, वीरचन्द्र पटेल पथ, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग बिहार, पटना/असैनिक शल्य चिकित्सक-सह-मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, शिवहर/अधीक्षक, सदर अस्पताल, शिवहर/कोषागार पदाधिकारी, शिवहर/ डा० उमेश भारती, विशेषज्ञ चिकित्सा पदाधिकारी (शिशु रोग), सदर अस्पताल, शिवहर/ प्रशाखा-3, 9 एवं 18A को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि: आई०टी०मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ प्रेषित।

W. K. 20/4/26
सरकार के उप सचिव